फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय – तकिया चॉदशाह, सोजती गेट, जोधपुर तथा शाखा कार्यालयः– बोरानाडा, जोधपुर –342001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अनिल कुमार
– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स भाग्यलक्ष्मी मेटल, (प्रोपराइटर – श्री दिनेश कीर पुत्र श्री गणेश लाल कीर) एच 409, सांगरिया– 2 फेज सांगरिया जोधपुर– 342001 (राज.)
(ऋणी)
2. श्री दिनेश कीर पुत्र श्री गणेश लाल कीर, ग्राम व पोस्ट नैनपुरिया ग्राम पंचायत नमाना, सॉवरिया मन्दीर के पास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 313323(राज.)
3. श्री गणेश लाल कीर पुत्र श्री पेमा जी कीर ग्राम व पोस्ट नैनपुरिया ग्राम पंचायत नमाना, सॉवरिया मन्दीर के पास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 313323(राज.)
(गारंटर)
–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 02/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03/02/2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कार्यालयः– बोरानाडा, जोधपुर ने दिनांकः 08–01–2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार खाता संख्या 723905080000136 के द्वारा 20,00,000/– रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति– श्री गणेश लाल कीर पुत्र श्री पेमा जी कीर के नाम भूमि व निर्माण आवासीय संपत्ति जिसका क्षैत्रफल 2290.43 वर्गफिट है जो कि ग्राम व पोस्ट नैनपुरिया ग्राम पंचायत नमाना, सॉवरिया मन्दीर के पास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं। को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और दिनांक 30.04.2019 ऋण के भुगतान मे व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 723905080000136 में बकाया रूपये 21,80,863.04 (रूपये इक्कीस लाख अस्सी हजार आठ सौ तरेसठ पैसे चार मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 01.05.2019 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिनियम कि धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 20.05.2019 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो की अप्रार्थीगण को तामील हो गये परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है उक्त धारा 13(2) का नोटिस प्रोपर तामिल होने कि दिनांक 03.06.2019 हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक मे रहन दस्तावेजो के अनुसार विवरण इस प्रकार है – श्री गणेश लाल कीर पुत्र श्री पेमा जी कीर के नाम भूमि व निर्माण आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 2290.43 वर्गफिट है जो कि ग्राम व पोस्ट नैनपुरिया ग्राम पंचायत नमाना, सॉवरिया मन्दीर के पास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं। तथा जिसकी चारो सीमाएँ निम्न है :– पूर्व में :– आम रास्ता, उत्तर में :– लच्छीराम जी का मकान, दक्षिण में :– सांवरिया जी का मन्दीर, पश्चिम में :– श्री नन्दराम पिता श्री भीमा जी कीर का मकान, उक्त संपत्ति का पटटा विलेख दिनांकित 09.07.2010 को उपपंजीयक नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी बैंक उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त चरण संख्या 05 में वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 08.05.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को प्रोपर तामिल होने की दिनांकः 03.06.19 हैं। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी यूनियन बैंक द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है – श्री गणेश लाल कीर पुत्र श्री पेमा जी कीर के नाम भूमि व निर्माण आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 2290.43 वर्गफिट है जो कि ग्राम व पोस्ट नैनपुरिया ग्राम पंचायत नमाना, सॉवरिया मन्दीर के पास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं। तथा जिसकी चारो सीमाएँ निम्न है :– पूर्व में :– आम रास्ता, उत्तर में :– लच्छीराम जी का मकान, दक्षिण में :– सांवरिया जी का मन्दीर, पश्चिम में :– श्री नन्दराम पिता श्री भीमा जी कीर का मकान, उक्त संपत्ति का पटटा विलेख दिनांकित 09.07.2010 को उपपंजीयक नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10. 2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोरानाडा, जोधपुर को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोरानाडा, जोधपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द